दिनांक– 27 मार्च, 2012 को मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गये निर्णय।

	उद्योग विभाग	
1.	कुल लागत ₹ 17090.12 लाख (एक अरब सत्तर करोड़ नब्बे लाख बारह हजार) मात्र की लागत पर मुख्यमंत्री तसर विकास परियोजना (2012–17) की स्वीकृति।	स्वीकृत।
	उद्योग विभाग	
2.	मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास योजनान्तर्गत राज्य के सहकारिता एवं गैर सहकारिता बुनकरों को नये करघे, कॉरपस मनी, कर्मशाला निर्माण, सामान्य सुलभ सेवा केन्द्र, यार्न डिपो, बुनकर हाट एवं प्रसार–प्रचार मूल्यांकन पर्यवेक्षण आदि के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना काल के चार वर्ष (2012–13 से 2015–16) तक के लिए 150.25 करोड़ रूपये के अनुमानित व्यय पर योजना की स्वीकृति का प्रस्ताव।	स्वीकृत।
	ऊर्जा विभाग	
3.	माननीय मुख्यमंत्री आवास आवासीय कार्यालय, जनता दरबार एवं परिसर को सौर ऊर्जा से आच्छादित करने की योजना हेतु की ₹ 450.00 (चार करोड़ पचास लाख) लाख की योजना की स्वीकृति एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्यांश के रूप में ₹ 369.00 (तीन करोड़ उनहत्तर लाख) लाख रूपये जिसमें बिहार रिन्युएबुल इनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी (ब्रेडा) को वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्यांश के रूप में ₹ 282.66 (दो करोड़ बेरासी लाख छियासठ हजार) लाख रूपये की सहायक अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाय एवं शेष ₹ 76.34 (छिहत्तर लाख चौंतीस	स्वीकृत।

हजार) लाख रूपये वित्तीय वर्ष 2012–13 में दी जायेगी।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
(पशुपालन)

4.	वित्तीय वर्ष 2011–12 में कुल 250.00 लाख (दो करोड़ पचास लाख) रूपये मात्र की अनुमानित लागत पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट के तहत बकरी विकास की योजना की स्वीकृति तथा इस स्वीकृत से बकरी के विकास हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं बी०पी०एल० परिवारों को बकरी पालन के बढ़ावा तथा परम्परागत बकरीपालकों के दक्षता विकास हेतु अनुदान स्वरूप राशि देने की स्वीकृति।	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

5.	वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्य योजनान्तर्गत विभिन्न महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के विकास हेतु कुल 3,25,37,102/–(तीन करोड़ पच्चीस लाख सैंतीस हजार एक सौ दो रूपये मात्र) रूपये मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति।	स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

6.	इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को स्थापना व्यय हेतु गैर योजना से वित्तीय वर्ष 2011–12 में रू० 10,00,00,000/–(दस करोड़) रूपये मात्र की अनुदान की स्वीकृति।	स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

7. श्रीमती माजदा खातून, सेवाच्यूत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पुर्नविलोकन आवेदन पर विचार किये जाने के संबंध में। — पुनर्विलोकन आवेदन अस्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

8. वित्तीय वर्ष 2011–12 में महिला विकास निगम (मुख्यालय), बिहार, पटना की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण तथा जिला स्तरीय कार्यालय के संधारणार्थ कुल रूपये 2,28,37,000/–(दो करोड़ अठाईस लाख सैंतीस हजार) रूपये मात्र के सहायक अनुदान की स्वीकृति के संबंध में। — स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

9. मानसिक रूप से विक्षिप्त/रूग्न आवासिनों के लिए देखभाल की दृष्टिकोण से पटना में कुल 50.00 लाख (पचास लाख रूपये) प्रतिवर्ष के अनुमानित व्यय पर 50 बिस्तर का आवासीय विशेष गृह ''आसरा'' स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से चलाये जाने की स्वीकृति के संबंध में। — स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग
(सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)

10. कमला नेहरू समाज सेवा संस्थान विकलांग पुनर्वास प्रशिक्षण केन्द्र, पटना में सहायक अनुदेशक (इलेक्ट्रॉनिक्स) का एक पद श्री मिथिलेश कुमार की योगदान की तिथि 09.12.2010 से उनके सेवा में बने रहने तक अस्थायी रूप से सृजित करने पर घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। — स्वीकृत।

उद्योग विभाग

11.	बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का वित्तीय वर्ष 2011–12 के अंतर्गत प्रस्थापना व्यय हेतु 1,45,00,000 (एक करोड़ पैंतालिस लाख) रूपये मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति।	स्वीकृत।

गन्ना उद्योग विभाग

12.	बिहार राज्य चीनी निगम के अधीन बंद दो चीनी मिलें यथा–लोहट एवं समस्तीपुर को चतुर्थ निविदा प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त निविदाओं पर एस०बी० आई० कैप्स के प्रतिवेदन एवं सुझाव पर सरकार द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसाओं के अलोक में दीर्घकालीन लीज पर हस्तांतरण एवं उनके कर्मियों के लिए Cut Off Date निर्धारित करते हुए स्वीकृत Exit Settelement Plan के अनुरूप भुगतान की स्वीकृति।	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

13.	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या–4215–16/2002 में दिनांक–22.07.2002 को पारित न्यायादेश के क्रम में राज्य के विश्वविद्यालयों /अंगीभूत महाविद्यालयों एवं घाटानुदानित (अल्पसंख्यक सहित) महाविद्यालयों के स्नातक प्रयोगशाला सहायक/कनीय प्रयोगशाला सहायक /प्रयोगशाला प्रभारी/ प्रयोगशाला तकनीशियन/ तकनीकी सहायकों को प्रयोग– प्रदर्शक (Demonstrator) के रूप में पदनामित (री–डिजिगनेट) किये जाने से उत्पन्न हो रही गंभीर विसंगतियों के	स्वीकृत।

मद्देनजर निर्गत विभागीय पत्रों को उनके निर्गत होने की तिथि से ही विलोपित किये जाने के संबंध में।

शिक्षा विभाग

14. चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्य के विश्वविद्यालयों को वेतनादि, वेतनान्तर, बकाया वेतनादि एवं बकाया पेंशन राहत के भुगतान हेतु कुल ₹ 54,82,84,350/– (चौवन करोड़ बेरासी लाख चौरासी हजार तीन सौ पचास रू०) मात्र की स्वीकृत करने के संबंध में। — स्वीकृत।

वित्त विभाग

15. श्री मदन मोहन प्रसाद, से०नि० विशेष सचिव, वित्त विभाग की निदेशक (अन्वेषण), सांस्थिक वित्त के पद पर 1 वर्ष के लिए संविदा पर नियुक्ति के संबंध में। — स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

16. बिहार लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2012 की स्वीकृति। — स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

17. राज्य के जिला एवं अनुमंडलीय अस्पतालों में कार्यरत ''ममता'' रखने के संबंध में। — स्वीकृत।

सूचना प्रावैधिकी विभाग

18. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा संविदा पर नियोजित आई०टी० प्रबन्धक प्रखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी सहायक एवं कार्यपालक सहायक के मानदेय की प्रतिपूर्ति हेतु सूचना प्रावैधिकी विभाग के गैर योजनान्तर्गत (स्थापना व्यय) राशि 20,66,04,000.00 (बीस करोड़ — संलेख की कंडिका– 3 का प्रस्ताव स्वीकृत।

छियासठ लाख चार हजार) रूपये मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

सूचना प्रावैधिकी विभाग

19. बिहार राज्य में फौकानियाँ एवं फाजिल स्तर तक संचालित कुल 188 अनुदानित मदरसों सहित वास्तानियाँ स्तर के 76 मदरसों यानि कुल 188 + 76 = 264 (दो सौ चौंसठ) मदरसों को ई०–शासन राज्य योजना के तहत कम्प्यूटरीकृत किये जाने हेतु स्टेट नोडल एजेन्सी, बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि०, पटना के द्वारा प्रस्तुत कुल प्राक्कलित राशि 28,24,80,000.00 (अठाईस करोड़ चौबीस लाख अस्सी हजार) रूपये मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के साथ–साथ वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 के अन्तर्गत रूपये 7,38,90,000.00 (सात करोड़ अड़तीस लाख नब्बे हजार) मात्र व्यय की स्वीकृति। स्वीकृत।

वित्त विभाग

20. बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना के लिए अतिरिक्त राशि 741 करोड़ रूपये तथा तीन वर्षों के अवधि विस्तार की स्वीकृति के संबंध में। स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

21.	गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए 100 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु राज्य योजना से ₹ 24,63,29,109/– (चौबीस करोड़ तिरसठ लाख उनतीस हजार एक सौ नौ) की प्रशासनिक स्वीकृति तथा उक्त भूमि के अर्जन पर व्यय की गई राशि के लिए आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार को वित्तीय वर्ष 2011–12 में ₹ 12.50 करोड़ (बारह करोड़ पचास लाख) की विमुक्ति की स्वीकृति।	स्वीकृत।

गृह (आरक्षी) विभाग

22.	केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए अनुमोदित कुल ₹ 5746.35 लाख (संतावन करोड़ छियालीस लाख पैंतीस हजार रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति तथा केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि ₹ 3034.25 लाख (तीस करोड़ चौतीस लाख पचीस हजार रू०) विमुक्त करने तथा योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं अनुवर्ती वर्षों में कराने के संबंध में।	स्वीकृत।